(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भू.रा./2017/3467 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 443/अपील/16-17.

गणेशसिंह पिता शंकरसिंह तर्फे वारिस

1. भूरेसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत, मृत तर्फे वारिस
2. मानसिंह तर्फे रूखड़िया राजपूत,
   निवासी ग्राम मांगरूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन तर्फे हल्का पटवारी
ग्राम मांगरूल, तह. खरगौन,
जिला प. निमाड़, म.प्र. .....अनावेदक

श्रीमती स्वाती शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक स्व. गणेशसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत द्वारा तहसीलदार, खरगौन के समक्ष ग्राम मांगरूल स्थित भूमि खसरा नंबर 197 पैकि नंबर 197/4 रकबा 3.00 एकड़ का प्रकरण क्र. 09/अ-19/98-99 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2000 के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार दिया जाकर ऋण पुस्तिका मिलने बाबद आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण कालांतर में कार्य विभाजन अनुसार नायब तहसीलदार, खरगौन के न्यायालय को

अंतरिम हुआ। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्र. 06/अ-19/14-15 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16.12.2015 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-4-1/2003/सात/2ए, भोपाल दिनांक 04.12.2009 अनुसार कृषि प्रयोजन हेतु भूमि बंटन पर रोक होने तथा सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदमपैरवी में खारिज किया गया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरगौन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 11.04.2017 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.07.2017 को आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने से अपील सुनवाई हेतु अग्राह्य की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश के परिपालन में रिकॉर्ड का अद्यतन करने संबंधी आवेदन पत्र दिया था, जिस पर गुण दोष पर सुनवाई की कोई भी आवश्यकता न होते मात्र पटवारी को रिकॉर्ड अद्यतन करने संबंधी आदेश देने संबंधी कार्यवाही की जाना थी, लेकिन विचारण न्यायालय सहित दोनों अपील न्यायालयों ने इस बिंदु पर कोई भी विचार नहीं किया।

(2) विचारण न्यायालय ने राजस्व प्रकरणों हेतु निर्मित विधि एवं नियमों को अनदेखा करते एक लंबे समय से आवेदक के आवेदन पत्र पर ज्युडिशियल माईन्ड अप्लाय न करते हुये उसे "अ-19" के मद में दर्ज कर उसे लंबित रखते बाद आवेदक को बिना कोई पेशी तारीख दिये अथवा सूचना दिये प्रकरण को निरस्त कर दिया। इस संबंध में दोनों अपीलीय न्यायालय ने कोई भी ज्युडिशियल माईन्ड अप्लाय करके विचार नहीं किया।

(3) आवेदक को म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा दाविया भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किया गया, लेकिन विचारण एवं अपील न्यायालयों ने आवेदक के आवेदन पत्र को कृषि पट्टा प्राप्त करने का माना, जिससे यह स्पष्ट है कि इन सभी न्यायालयों द्वारा न तो अभिलेख का अवलोकन किया व न ही विधि की विवेचना की।

(4) म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समय सीमा में किया जाना अनिवार्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 से रिकॉर्ड अद्यतन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र का विधिसम्मत निराकरण न करते हुए उसे विधिसम्मत न मानकर उसे अदम पैरवी में निरस्त करने संबंधी तथ्य रिकॉर्ड पर होते हुए भी अधीनस्थ अपील न्यायालयों ने इस संबंध में कोई भी विचार नहीं किया।

(5) विचारण न्यायालय के समक्ष शीघ सुनवाई का आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2015 को प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकरण को कई दिनों तक बगैर तारीखों के रख कर प्रकरण को निरस्त कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को न्याय प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस बिंदु पर भी अपील न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करते उपेक्षा की गई।

(6) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विचारण न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि वह अपने वरिष्ठ अपील न्यायालय के आदेश का पालन करे, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपने वरिष्ठ अपील न्यायालय के आदेश के परिपालन में रिकॉर्ड को पूर्व स्थिति में अद्यतन करने संबंधी आदेश पारित नहीं करते हुए अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, फिर भी प्रथम अपील न्यायालय ने अपने ही आदेश का पालन न करने पर विचारण न्यायालय के विरूद्ध अवमानना संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टे आवेदक की अपील निरस्त कर दी और प्रथम अपील न्यायालय के ऐसे आदेश पर द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा कोई भी विधिसम्मत विचार नहीं कर आवेदक की अपील निरस्त कर दी।

(7) आवेदक यह स्पष्ट करता है कि उसके द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद उसके कब्जे को संरक्षित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो विचारण न्यायालय व प्रथम अपील न्यायालय से निरस्त किया जाने पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में द्वितीय अपील क्र. 660/2008 के रूप में विचाराधीन होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दिनांक 03.12.2008 को अंतिम सुनवाई में ग्राह्य करते हुए Substantial Questions of Law निर्मित किये जाकर म.प्र. शासन एवं उक्त अपील के अन्य अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदक की भूमि में उसके कब्जे में दखल करने से निषेधित किया गया, जिसका कोई भी प्रतिकूल कानूनी प्रभाव प्रश्नगत प्रकरण पर नहीं पड़ता है, फिर भी दोनों अपील न्यायालयों ने मात्र इस आधार पर अपीलों को त्रुटिपूर्ण रूप से निरस्त किया गया।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय एवं दोनों अपील न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को ग्राम मांगरूल स्थित प्रश्नाधीन भूमि 3.00 एकड़ का पट्टा वर्ष 2000 में दिया गया था, आवेदक को जारी उक्त पट्टा संदेहास्पद पाया गया है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी स्वत्व हेतु आवेदक तथा अन्य कब्जेदारों द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 के समक्ष निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि आदेश आदेश दिनांक 17.06.2004 से निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो निरस्त की गई, जिसकी द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन होने से राजस्व न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में फेरफार की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

रीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर